निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 05/2023
दायरा दिनांकः–25.01.2023
निर्णय दिनांकः– 18.11.24

उनवान

1. बादाम बाई आयु 59 वर्ष पुत्री रामा जाति कबाडी निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील छबडा हाल निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज)

बनाम

1. भैरूलाल आयु 55 वर्ष पुत्र रामा जाति कबाडी निवासी ग्राम किशोरपुरा
2. बृजमोहन आयु 45 वर्ष पुत्र रामा जाति कबाडी निवासी ग्राम किशोरपुरा
3. राधेश्याम आयु 40 वर्ष पुत्र रामा जाति कबाडी निवासी ग्राम किशोरपुरा
4. दाखाबाई आयु 70 वर्ष पुत्री रामा जाति कबाडी निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 18.11.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भवर सिंह जादौन– प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया तथा अप्रार्थी कम 1 ता 4 की शामलाती खातेदारी एव कब्जे की खसरा संख्या 30 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 55/33 की रकबा 1 बिस्वा, भूमि खसरा संख्या 60/87 की रकबा 4 बीघा भूमि खसरा संख्या 65/45 की रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा, कुल किता 4 की रकबा 23 बीघा भूमि वाके माल किशोरपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित है जिसमे प्रार्थीया तथा अप्रार्थी कम 1 ता 4 का हिस्सा 1/5 1/5 स्थित है जो दर्ज जमाबंदी चला आ रहा है जिसकी वर्तमान जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया तथा अप्रार्थी कम 1 ता 4 की मां स्वर्गीय नाथीबाई का स्वर्गवास अर्सा करीब 10–12 वर्ष पूर्व हो चुका है जिसके प्रार्थीया तथा अप्रार्थी कम । ता 4 जायज वारिसान एंव कायम मुकामान है उनके इनके अलावा अन्य कोई जायज वारिसान एव कायम मुकामान नही है उनका नाम प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि के खाते मे से डिलीट फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि का प्रार्थीया तथा अप्रार्थी कम 1 ता 4 के मध्य मौके पर वर्षों पूर्व से पारिवारिक बटवारा हो रहा है जिनक अनुसार सभी खातेदार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीया ने अपने हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

भूमि अप्रार्थी कम 1 ता 3 को पाती काश्त पर दे रखी थी जो प्रार्थीया को प्रत्येक वर्ष सके हिस्से की फसल की उपज की पाती दे देते थे। वर्तमान में प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित हिस्से की भूमि का अधिक उपजाऊपन देखकर अप्रार्थी कम 1 ता 3 के मन बदयान्ति आ गयी है तथा उन्होने गत वर्ष से ही प्रार्थीया को उसके हिस्से की भूमि की पाली की फसल देना बंद कर दिया तथा वह प्रार्थीया को उसके हिस्से एंव कब्जे काश्त की भूमि पर से उसे बेदखल कर कब्जा करने पर उतारू है जिसका की उन्हे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि मे अपने हिस्से की भूमि जिस पर वह काबिज है तथा शांतिपूर्वक काश्त करवाती चली आ रही है। उसे अप्रार्थीगण जबरन बल पूर्वक छुडना चाहते है इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थीगण को उसके हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न ना करने बावत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की वैधानिक अधिकारिणी है जो अत्यंत आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण का कारण दिनांक 02/01/2023 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित अपने हिस्से की भूमि राजस्व रिकार्ड व मौके पर कब्जे के अनुसार बंटवारा करवाकर पृथक पृथक खाते दर्ज करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण नही माने और उन्होने लडाई झगडा किया और प्रार्थीया को उसके हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर से उसे बेदखल करने पर उतारू हो गये और उन्होने प्रार्थीया को हाथ पैर काटकर जान से खत्म करने की धमकी दी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2073–76 खंख्या 30 फोटो प्रति आधार कार्ड बादाम बाई पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम किशोरपुरा तहसील छबडा में स्थित है जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/5 है प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की मां नाथी बाई का स्वर्गवास हो चुका है जिसमें प्रार्थीया व अप्रार्थीगण जायज वारिस है विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य मौके पर वर्षो पूर्व पारिवारिक बटवारा हो रहा है जिसके अनुसार अपने-अपने हिस्से पर शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त करतें चले आ रहे है। प्रार्थीया ने अपने हिस्से की भूमि को पांती काश्त पर अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 को दे रखी है प्रार्थीया की भूमि मे अधिक फसल होने से अप्रार्थीगण के मन मे बेईमानी आ जाने के कारण पांती की फसल देना बन्द कर दिया तथा प्रार्थीया का उसके हिस्से एवं कब्जे की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल कर दिया तो प्रार्थीया को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 30 के अनुसार प्रार्थीया एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है प्रार्थीया द्वारा माता नाथीबाई का स्वर्गवास होना बताया है इससे प्रार्थीया का 1/5 हिस्सा निहित है प्रार्थीया अपना हिस्सा अलग कराना चाहती है अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने का कोई अधिकार नही

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

विवादित आराजी में प्रार्थीया का हिस्सा 1/5 होने से अपने हिस्से तक अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने की अधिकारी है प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है उभयपक्षो को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम किशोरपुरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 30 रकबा 2.10 बीघा खसरा नम्बर 55/33 रकबा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 60/87 रकबा 4 बीघा खसरा नम्बर 65/45 रकबा 16.09 बीघा में मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

संख्या 65/45 की रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा, कुल